उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-16/2013-14

श्याम सुन्दर सोरेन एवं अन्य

बनाम्

कन्हाई बेसरा

-: आदेश :-

दिनांक	
05/3/14	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्त्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पुलिस सोरेन, पे0-स्व0 दरोगा सोरेन, सा0-लक्ष्मी, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0-76/2010-11(कन्हाई बेसरा बनाम् पुलिस सोरेन) के आदेश दिनांक-25.04.2013 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0-76/2010-11 में दिनांक-25.04.2013 के आदेश द्वारा मौजा-लक्ष्मी के जमाबंदी सं0-34 दाग नं0-768/1758 रकवा 00-09-09 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-लक्ष्मी नं0-531 जमाबंदी सं0-34 का दाग नं0-768/1758 रकवा 00-09-09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दरोगा बेसरा वो बड़का बेसरा वो दलू बेसरा वो शुखु बेसरा, पे0-जगन बेसरा के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा के भाई जमाबंदी रैयत बड़का बेसरा का नाती है। जमाबंदी रैयत बड़का बेसरा को पुत्र नहीं था। उनको एक पुत्री लाली बेसरा हुई। जमाबंदी रैयत बड़का बेसरा की मृत्यु के बाद जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा ने लाली बेसरा का शादी कराया एवं आवास हेतु जमीन नहीं रहने के कारण शुखु बेसरा ने लाली बेसरा को आवास के उदेश्य हेतु अपने जमाबंदी के आंशिक भूमि दाग नं0-768/1758 रकवा 00-09-09 धुर जमीन दिया था। चुँकि संथाल रिवाज के अनुसार संथाल महिला को अपने पैतृक सम्पति पर कोई हक नहीं होता है। इसलिए जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा ने 1932 में उक्त जमीन कुर्फानामा के माध्यम से बंदोवस्त किया था। लाली बेसरा ने उक्त जमीन पर मकान बनाया एवं सपरिवार उस मकान में रहने लगी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र एवं पोता उक्त जमीन पर बनाये गये मकान में सपरिवार रहने लगे। पूर्व के मकान के अलावे अपीलकर्त्ता का उस जमीन पर और तीन आवासीय मकान बना हुआ है। जिस पर लाली बेसरा के पोतागण परिवार के साथ रह रहें हैं। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन अंचल अधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नं0-40/72-73 के द्वारा अपीलकर्त्ता के

नाम से दाखिल खारिज हो गया है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–18.07.1972 से लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा है। लेकिन निम्न न्यायालय अपने आदेश में यह घोषित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत जमीन कृषि योग्य जमीन नहीं है बल्कि बसने लायक जमीन में परिवर्तित हो गया है, जहाँ संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20/42 लागू नहीं हो सकता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा से भी जाँच प्रतिवेदन की माँग नहीं किया गया था। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान अपीलकर्त्ता पुलिस सोरेन की मृत्यु होने के कारण श्याम सुन्दर सोरेन वो वीरेन्द्र सोरेन वो रामेश्वर सोरेन को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–लक्ष्मी नं0–531 जमाबंदी सं0–34 दाग नं0–768/1758 रकवा 00–09–09 धुर जमीन पिछले सर्वे में शुखु बेसरा के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी कन्हाई बेसरा जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा के पोता है। इसलिए उत्तरवादी का उक्त जमीन पर कानूनी हक एवं अधिकार है। अपीलकर्त्ता पुलिस सोरेन का उक्त जमीन पर कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं है। अपीलकर्त्ता का जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा के वंश से कोई संबंध नहीं है। वह बाहरी व्यक्ति है एवं जमाबंदी के खेती जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति का दखल पाया जाता है, तो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद करने का प्रावधान किया गया है और उसी प्रावधान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम के विपरीत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–773 दिनांक–03.05.2009 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लक्ष्मी थाना नं0–531 के जमाबंदी सं0–34 जमाबंदी रैयत दरोगा बेसरा वो बड़का बेसरा वो दलू बेसरा वो शुखु बेसरा, पे0–जगन बेसरा के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। इस खाते के अन्तर्गत खेसरा नं0–768/1758 रकवा 00–09–09 धुर जमीन किस्म बाड़ी ऑवल पर अपीलकर्त्ता पुलिस सोरेन का मकान मय सहन है। जिसमें वे सपरिवार निवास कर रहें हैं। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं है। पंजी–2 में उक्त खाता अपीलकर्त्ता पुलिस सोरेन, पिता–दारोगा सोरेन के नाम से कायम है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन से संबंधित दाखिल खारिज वाद सं0–40/72–73 में

पारित आदेश की छाया प्रति एवं वर्ष 2007–08 तक का लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया है।

विज्ञ सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत किसी प्रकार के जमाबंदी जमीन का हस्तान्तरण अवैध है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश विधि सम्मत है एवं अपीलकर्त्ता का आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, दाखिल कागजात जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लक्ष्मी थाना नं0–531 जमाबंदी सं0–34 जमाबंदी रैयत दारोगा बेसरा वो बड़का बेसरा वो दलू बेसरा वो शुखु बेसरा, पे0–जगन बेसरा के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–768/1758 रकवा 00–09–09 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा के भाई बड़का बेसरा के नाती है एवं जमाबंदी रैयत शुखु बेसरा ने वसोवास हेतु उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज को दिया है और उक्त जमीन पर निवास कर रहें हैं। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान मय सहन है, जिसमें अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास कर रहें हैं तथा अपीलकर्त्ता के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–40/72–73 से खाता कायम है। अपीलकर्त्ता की ओर से नामांतरण वाद सं0–40/72–73 के आदेश का अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है। उक्त दाखिल कागजातों से भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता मकान बनाकर निवास कर रहें हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उच्छेद करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–76/10–11 में दिनांक–25.04.2013 के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BETSRAI QAHER YADAV
Date: 2022.08.08 17:30:53 +05:30
Location: 192.168.22.8